## भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर — 342001, राजस्थान INDIAN INSTITUTE OF HANDLOOM TECHNOLOGY, JODHPUR 342 001

## छात्रावास निवासीयों द्वारा घोषणा पत्र /UNDERTAKING BY HOSTEL RESIDENTS

में,	पुत्र / पुत्री श्री संदर्भित		
प्रवेश संप्रे माध्यम से त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए भर्ती हुआ हूं। एतद्दवारा शपथ लेता हूं			
कि आईआईएचटी, जोधपुर में छात्रावास निवासी के रूप में मैं सत्यनिष्ठा का वचन देता हूं कि :			
	S/o/D/o		
with admission reference no, joined for the Three Year DHTT Programme in IIHT Jodhpur, do hereby undertake that as a resident of hostel at IIHT Jodhpur, I hereby			
	emnly promise that:		
1.	मैं छात्रावास में आवंटित आवास में रहूंगा और बिना अनुमित के अपने आवंटित कमरे को नहीं बदलूंगा। I shall stay in the allotted accommodation in the hostel and shall not change my allotted room without permission.		
2.	मैं छात्रावास नियमों और विनियमों के शब्द और भावना का और उसके किसी भी संशोधन का पालन करूंगा। I shall obey in word and spirit the rules and regulations of the Hostel and any amendments thereof.		
3.	मैं छात्रावास के अनुशासन और मर्यादा को हमेशा बनाए रखूंगा। I shall at all times maintain the discipline and decorum of the Hostel.		
4.	मैं अपने कमरे और छात्रावास के सामान्य क्षेत्रों / मैदानों को हर समय साफ, स्वच्छ और मिट्टी रहित रखूंगा। मैं परिसर में नहीं थूकूंगा (गुटखा, तंबाकू आदि चबाकर), सिंगल यूज प्लास्टिक से बचूंगा और पूरा समर्थन करूंगा।  I shall keep my room and the common areas/grounds of the hostel neat, clean and unsoiled at all times. I shall not spit (chewing of Gutkha, Tobacco etc.) in the campus, avoid single use plastics and extend full support		
5.	में वार्डन / डिप्टी वार्डन की पूर्व अनुमित प्राप्त किए बिना कोई भी त्यौहार व जन्मिदन नहीं मनाऊंगा। मुझे पता है कि किसी भी तरह के उत्सव और शौर शराबे / उत्सव की अनुमित नहीं हैं। I shall not celebrate any festivals and birthdays, without obtaining prior permission of the Warden /Deputy Warden. I am aware that any manner of festivities & noise-making/celebrations will not be allowed.		
6.	में गीले कपड़े फर्नीचर पर या कमरे में सुखाने के लिए नहीं रखूंगा। I shall not put wet clothes on the furnitures or in room for drying.		

7- मैं कमरे में कोई पका हुआ खाना नहीं बनाऊंगा और न ही रखूंगा।

I shall not cook or store any cooked food in the room.

- 8. मैं छात्रावास की संपत्ति को संरक्षित और सुरक्षित रखूंगा, और जानबूझकर या अन्यथा छात्रावास की संपत्ति को नष्ट, क्षिति या खराब नहीं करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मुझे आवंटित कमरे में सभी फर्नीचर और फिक्स्चर का ध्यान रखा जाए और उनका रखरखाव ठीक से किया जाए।
  - I shall preserve and safeguard the property of the hostel, and shall not knowingly or otherwise destroy, damage, or spoil Hostel assets. I shall ensure that all furniture and fixture in the rooms allotted to me is taken care of and maintained properly.
- 9. मुझे जानकारी है कि कमरे/सामान्य क्षेत्रों/गिलयारों में छात्रावास की संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली विशेष कमरे के छात्रों/संबंधित विंग के छात्रों से की जाएगी। पूरे छात्रावास द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के क्षितिग्रस्त होने की स्थिति में छात्रावास प्रशासन/समिति से प्राप्त जांच रिपोर्ट के बाद छात्रावास के सभी रहने वालों से वसूली की जाएगी।
  - I am aware that the damage to hostel assets in room/common areas/corridors will be recovered from the students of the particular room/the students of the wing involved. In case of damage to items that pertain to usage by the complete hostel, the recoveries will be made from all the occupants of the hostel, after getting an enquiry report from the hostel administration/committee.
- 10. मैं कमरे / छात्रावास में किसी भी विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं करूंगा। (यदि प्रशासन की उचित अनुमित के बिना उपयोग किया जाता है तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा और संस्थान का प्रशासन ऐसी वस्तुओं के उपयोग के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
  - I shall not use any electrical appliances in the room/hostel. (If used without the proper permission of the administration and they shall be removed immediately and the administration of the Institute will not be responsible for any mishappening or damage if any during the usage of such items)
- 11. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कमरे के बंद होने पर पंखे और लाइट हमेशा बंद रहें।

  I shall ensure that the fans and lights are invariably made off when the room is closed.
- 12. मैं अपने कीमती सामान को अपनी अभिरक्षा में रखूंगा। किसी भी नुकसान या क्षति के लिए छात्रावास प्रशासन जिम्मेदार नहीं है।

  I will maintain my valuables in my own custody. The hostel administration is not responsible for any loss or damage.
- 13. मैं सहमत हूं कि मेरे द्वारा संस्थान में रात्रि 9.30 बजे से पूर्वाह्न 6.00 बजे तक किसी प्रकार से प्रवेश या निकासी नहीं किया जाएगा, जब तक कि विशेष अनुमित नहीं ली जाती हैं। मैं छात्रावास के समय का कड़ाई से पालन करूंगा।

  I agree that no entry or exit will be made by me from 9:30 PM to 6:00 AM in the Institute, unless specific permission is taken. I shall strictly follow the timings of hostel.
- 14. मैं छात्रावास वार्डन की पूर्व अनुमित के बिना छात्रावास नहीं छोडूंगा।

  I shall not leave the hostel without prior permission from the Hostel Warden.
- 15. मैं बिना पूर्व अनुमित के छात्रावास में न बैठकें आयोजित करूंगा और न ही इनमें शामिल होऊंगा।
  I shall not or involve holding meetings in the hostel without prior permission.

- 16. मैं समझता हूं कि जरूरी कार्य हेतु परिसर के बाहर जाने के लिए वार्डन / डिप्टी वार्डन से पूर्व अनुमित लेनी होगी और संस्थान से जाने और वापस लौटने के दौरान मैं अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
  - I understand that prior permission has to be obtained from the warden/deputy warden to visit outside campus for bonafide purpose and I will be solely responsible for my safety and protection during my departure and return to the Institute.
- 17. यदि मैं पूर्व अनुमित के बिना संस्थान / छात्रावास छोड़ देता हूं, तो संस्थान मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकेगा और संस्थान / छात्रावास प्राधिकरण मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। छात्रावास के किसी भी छात्र को बिना अनुमित / छुट्टी का आवेदन और वचन पत्र जमा किये बिना बाहर जाने की अनुमित नहीं दी जाएगी। (छात्राओं के मामले में माता—पिता का सहमित पत्र आवश्यक है।)
  - In case I leave the Institute /hostel without prior permission, Institute can initiate the disciplinary action against me and Institute/hostel authorities are not responsible for my safety. No students of the hostel shall be allowed to go outside without submitting a permission/leave application and undertaking letter. (A parent consent letter is required, in the case of girls' student.)
- 18. जब मैं गृहनगर या अन्य स्थानों पर जाने के लिए छुट्टी (अनुमित के साथ) लेता हूं उस समय मेरे प्रस्थान और संस्थान में लौटने के दौरान मेरी सुरक्षा और बचाव के लिए पूरी तरह से मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।
  - In the event, when I take a leave (with permission) to visit hometown or other places, I will be solely responsible for my safety and protection during my departure and return to the Institute.
- 19. मुझे जानकारी हैं कि छात्रावास परिसर में किसी भी मित्र/बाहरी व्यक्ति को अनुमित नहीं है। मुझे यह भी पता है कि किसी प्रकार के मेहमानों को छात्रावास में रहने की अनुमित नहीं हैं और माता—पिता / अतिथियों को केवल दिन के समय (सुबह 08 बजे से शाम 07 बजे तक) छात्रावास के वार्डन से पूर्व अनुमित लेकर मुझसे मिलने की अनुमित होगीं।
  - I understand that no friends/outsiders are allowed in the hostel premises. I am also aware that guests of any kind shall not be allowed to stay in the hostel and the parents/guests are allowed to meet me with prior permission from the Hostel Warden during the daytime (8 AM to 7 PM) only.
- 20. मुझे जानकारी है कि पुरूष महिला छात्रावास में नहीं जा सकते हैं या इसके विपरीत यदि अन्यथा निर्धारित नहीं है और इस तरह की किसी भी विजिट को गंभीर कदाचार के रूप में माना जाएगा, जिस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  - I am aware that men cannot go to the women's hostel or vice versa if not otherwise stipulated and any such visit will be seen as a serious misconduct, inviting penalty.
- 21. मुझे संस्थान की कक्षाओं के समय छात्रावास में रहने की अनुमित नहीं दी जाएगी। यदि मैं कक्षा के समय में छात्रावास में रहना चाहता हूं, तो मुझे कक्षा सलाहकार / शिक्षक से पूर्व अनुमित लेनी होगी।
  - I shall not be allowed to stay in the hostel during the institute class hours. If I want to stay during the class hours, I shall obtain prior permission from the class advisor/teacher.

22. मैं मेस / डाइनिंग हॉल में निर्धारित समय पर ही भोजन करूंगा और रसोईघर में प्रवेश नहीं करूंगा। मेस में किसी भी अतिथि के भोजन करने की स्थिति में मैं मेस संचालक को पहले सूचित करूंगा।

I shall take meals in the mess/dining hall at the prescribed time only and will not enter to the kitchen. I shall inform the Mess well in advance, in case of any guests taking food in the mess.

- 23. मैं छात्रावास में पूर्ण स्वच्छता बनाए रखूंगा और भोजन की बर्बादी नहीं करूंगा।
  I shall maintain complete hygiene in hostel and shall Not Waste Food.
- 24. मैं उचित पोशाक पहनकर मेस में जाऊंगा और बीमार स्थितियों को छोड़कर कमरे में भोजन नहीं ले जाऊंगा।

  I shall enter the mess in proper dress and shall not take food to the rooms except in sick situations.
- 25. मैं जानता हूं कि रैगिंग सख्त वर्जित है और यह एक अपराध हैं। मैं किसी भी प्रकार की रैंगिंग (शारीरिक या मानिसक) गितिविधि में स्वयं को लिप्त नहीं करूंगा। यदि मैं रैगिंग गितिविधि से जुड़ा पाया जाता हूं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा—निर्देशों के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए पूरी तरह मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

I understand that ragging is strictly prohibited and is an offence. I shall not indulge myself in any kind of ragging (physical or orally) activity. If I am found associated with ragging activity, strict action as per guidelines of the Hon'ble Supreme Court of India will be taken me, for which I will be solely responsible.

(रैगिंग : रैगिंग किसी भी रूप में सख्ती के साथ प्रतिबंधित है। यह एक संज्ञेय अपराध है और उल्लंघन पर संस्थान से निष्कासन के अलावा, देश के कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूक दर्शक होने की स्थिति और रैगिंग में लिप्त अन्य लोगों की रिपोर्ट नहीं करने व रोकथाम नहीं करना यह भी एक अपराध है और इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु दंडनीय हैं। रैगिंग को स्वीकार करना / कराना और इसकी सूचना नहीं देना भी एक अपराध हैं। छात्रों को ऐसी किसी भी घटना की सूचना दिन / रात के किसी भी समय तुरंत सीधे एंटी—रैगिंग समिति के किसी भी सदस्य / निदेशक / वार्डन / डिप्टी वार्डन / सुरक्षा किमींयों को देनी चाहिए।)

(Ragging: Ragging in any form whatsoever is strictly BANNED. It is a cognizable offence and violation will invite action as per law of the land, in addition to expulsion from the institute. Being a silent spectator and not reporting/stopping others indulging in also offence and will invite similar disciplinary ragging is an Accepting/undergoing ragging and not reporting this is also an offence. Students should report any such incident immediately to any member of the Anti-Ragging Committee / Director/Warden / Deputy Warden / Security Personnel directly at any time of the day/night)

26. मैं समझाता हूं कि छात्रावास / संस्थान में किसी भी नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू शराब, नशीले पदार्थ या आदत बनाने वाली दवाओं आदि का उपयोग सख्त वर्जित है। छात्रावास और संस्थान परिसर में इस तरह की गतिविधि में शामिल होने, जैसे धूम्रपान, मादक पेय या किसी अन्य नशीले पदार्थ के सेवन के लिए किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा और संस्थान में मेरे अध्ययन के दौरान किसी भी समय / स्थान पर इसके प्रभाव में पाया जाने पर।

I understand that the use of any addictive substance like tobacco, alcohol, narcotics or habit forming drugs, etc., is strictly prohibited in the hostel / Institute. I will be liable for any disciplinary action for indulgence in such activity, viz., smoking, consumption of alcoholic drinks or any other intoxicating substance in hostel and Institute premises and found under its influence at any point of time/place during my studies in the Institute.

(शराब / नशीले पदार्थ / धूम्रपानः छात्र कमरे और / या परिसर के किसी भी हिस्से में शराब / नशीला पेय, नशीले दवाओं या किसी भी प्रकार का पदार्थ नहीं लाएंगे, स्टोर नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे, उपभोग नहीं करेंगे और / या धूम्रपान नहीं करेंगे। यह आगंतुकों पर भी लागू होगा। इस तरह के व्यवहार की घटना के लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही व छात्रावास / संस्थान से निष्कासन और देश के कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।)

(Alcohol / Drugs / Smoking: The student shall not bring, store, possess, consume and/or drink any alcohol/ intoxicating drink, drug or substance of any kind whatsoever and/or smoke in the room and/or any part of premises. The same shall apply to visitors also. An occurrence of such behavior shall invite strict disciplinary action leading to expulsion from Hostel/Institute and action as per law of land.)

27. मैं छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार के जुए में शामिल नहीं होऊंगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर संस्थान से निष्कासन के अलावा, देश के कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

I shall not involve in gambling of any kind whatsoever on the premises of the hostel. Any violation of this Rule violation will invite action as per law of the land, in addition to expulsion from the institute.

28. मैं एक छात्र के रूप में एक सक्रिय भूमिका निभाऊंगा और सुधार के लिए सुझाव / प्रतिक्रिया या छात्रावास जीवन के पहलुओं के बारे में किसी भी परेशानी को छात्रावास प्रभारी के ध्यान में रखूंगा।

I will play a proactive role as a student and suggestions / feedback for improvement or any concerns about aspects of hostel life will be brought to the notice of hostel incharge immediately.

29. मैं लैंगिक सौहार्द बनाए रखने और परिसर में सभी, समूह, व्यक्ति और अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में सिक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं कि संस्थान जाति, पंथ और सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दों के संबंध में एक धर्म निरपेक्ष रूख का पालन करता हैं।

I will strive to play a proactive role in keeping gender amity and maintain cordial & harmonious relations with all, group, individual and authorities on the campus. I understand that the Institute observes a non-negotiable stand with regard to issues of caste, creed and communal harmony.

30. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे खिलाफ लगाए गए किसी भी जुर्माना या दंड सिहत सभी देय राशि का संस्थान को समय पर भुगतान किया जाए।

I shall ensure that all dues, including any fines or penalties that may have been imposed against me, are paid in time to the Institute.

- 31. मैं छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि 9.30 बजे उपस्थिति के लिए उपस्थित रहूंगा। और उसके बाद मैं छात्रावास से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं छात्रावास में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.30 बजे तक कड़ा अनुशासन रखुंगा।
  - I shall remain present in the hostel at 9:30 P.M. daily for attendance and after which I shall not go outside the hostel. I shall maintain a strict silence in the hostel from 11.00 PM to 05.30 am.
- 32. मैं समझता हूं कि आचरण नियमावली और उससे ऊपर के किसी भी अस्वीकार्य व्यवहार में मेरे शामिल होने और छात्रावास के नियमों के किसी भी उल्लंघन के कारण मुझे छात्रावास / संस्थान से तत्काल निष्कासित कर दिया जाएगा।
  - I understand that my involvement in any unacceptable behavior under the code of conduct and above and any violation of hostel rules will lead to my immediate expulsion from the hostel / Institute.
- 33. मैं छात्रावास प्रशासन के इस बात हेतु सहयोग सुनिश्चित करूंगा कि छात्रावास की संपत्ति की रक्षा हो, छात्रावास परिसर में आराम से रहने और अनुशासन के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे।

I shall cooperate with the hostel administration to ensure that the hostel property is protected; a conducive environment for a healthy stay and discipline is maintained in the hostel campus.

स्थान/ Place: जोधपुर/ Jodhpur

दिनांक / Date : छात्रावासी के हस्ताक्षर / Signature of Hostel Resident

## स्वीकृति / ACKNOWLEDGEMENT

मैं, का पिता/माता/संरक्षव	5 उपरोक्त वचनबद्धत		
की शर्तों को पढ़ चुका हूं और समझता हूं कि उपरोक्त नियम	मेरे पुत्र/पुत्री के लाभ और सुधार के लिए हैं। मैं यह भी		
समझता / समझती हूँ कि यदि वह इन शर्तों का पालन करने में वि	कल रहता है, तो वह संस्थान के नियमों और कानून के अनुसार		
उपयुक्त कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। मैं वचन देता / देर्त	ं हूं कि वह उपरोक्त नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन		
करेंगा / करेंगी।			
I,	father/ mother/ guardian of		
	, have read the terms of above undertaking		
and understand that the above rules are for	my ward's benefit and improvement. I also		
understand that if he/she fail to comply with t	hese terms, he/she will be liable for suitable		
action as per Institute rules and law. I undertake that he/she will strictly follow the above			
terms and conditions.			
माता—पिता / संरक्षक के हस्ताक्षर / Parent's / Guardian's Signature :			
मोबाईल नं. / Cell Number ःई–मेल आइड	ो(अभिभावक / संरक्षक) Mail ID		